9/16/2015

प्रारूप क्रमांक 1	
(देखिये नियम 3)	
समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र	
1.	सोसायटी का नाम श्री दादाजी एजुकेशन सोसाइटी छिंदवाड़ा होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक वॉर्ड नंबर ९ कुणाल मोटर्स के पास कैलाश नगर नरसिंगपुर नाका छिंदवाड़ा 480001 तहसील Chindwara जिला Chindwara मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 8878537444 ईमेल आईडी sumitsahu165@gmail.com
3.	3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	• शिक्षा का प्रसार प्रचार करना समिति का मुख्य उद्देश होगा जिसमे मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार कॉलेज शिक्षण संस्थानों का संचालन करना शासन द्वारा संचालित जन कल्याण की विभिन्न योजनाओ अभियानों व कार्यकर्मो के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुचने में समुचित सहयोग देना
2	• एकेडमिक ,शारीरिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ,प्रबंध शिक्षण, चिकित्सा, कृषि ,कंप्यूटर एवं अन्य तकनीकी विषयों की शिक्षण संस्थाओ की स्थापना उनका संचालन, तथा नर्सरी से महाविध्यालीन तक सभी स्तरों की पढाई तथा सभी उम्र के बच्चो को कोचिग उपलब्ध कराना शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था करना पुस्तकालयो प्रयोग शालाओ का निर्माण व संचालन,करना छात्रावास की व्यवस्था व संचालन करना
3	• सामाजिक नैतिकआध्यात्मिक मूल्यो की पुनः स्थापना कर आत्म अनुशासन एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु आधुनिक व्यवसायिक उद्यमी तकनीकी स्वास्थ प्रशिक्षण केंद्र छात्रावास प्रशिक्षण शाला व्यायामशाला की स्थापना व्यवस्था का सञ्चालन करना
4	• भारतीय संविधान में उल्लेखित मूलभूत अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों का ,विभिन्न विधिक प्रावधानों का ,परिवार कल्याण की अवधारणा का, एवं अन्य आवश्यक बातो का प्रारभिक ज्ञान प्रसारित करना, भ्रष्टाचार उन्मूलन कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम ,जनसँख्या वर्द्धि पर अंकुश लगाना बाल विवाह ,बाल श्रमिक , दहेज़ .महिलाओ पर अत्याचारों आदि को रोकना नशा मुक्ति छुआछूत उन्मूलन अन्धविश्वास आदि कुप्रथाओ के उन्मूलन हेतु आवश्यक प्रयास करना
5	• युवा उत्थान हेतु वोकेशनल संस्थाओ जेसे संगीत नाच वाद्य चित्रकला मूर्ती कला सिलाई कढाई बुनाई क्राफ्ट वर्क कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक वाइंडिंग आदि का प्रशिक्षण देना

Sumit sahu किशोरीलाल साहू

6	• साहित्य प्रचार प्रसार पत्रकारिता आडियो विडियो व अन्य माध्यमो से कला संस्कृति जनहित व जनजाग्रति के विभिन्न आयामों का निष्पादन करना युवा जागरण हेतु अभियान चलाना व उन्हें राष्ट्रीय विकास के कार्यो में जोड़ना
7	• उद्यमी व्यवसायिक तकनीकी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा पशु चिकित्साशिक्षा कृषि शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं अन्य ऐसे शिक्षा के क्षेत्र मैं समाज के उत्थान हेतु कार्य करना पूर्व प्रशिषण कैंद्र बुनियादी प्रशिषण कैंद्र बी एड प्रशिक्षण स्वास्थय विभाग के अंतर्गत एएनएम कैंद्र बी एस सी एम् एस सी नर्सिंग बाल सुधार गृह नारी सुधारगृह कैंद्र मानव अधिकार के अंतर्गत जागरूकता कैंद्र आदि हेतु महाविद्यालय / कैंद्र की स्थापना व्यवस्था एवं सञ्चालन करना
8	• भारत सरकारराज्यसरकार के आधीन आर्थिक सहयोग से ऐसे किसी भी विभाग के अंतर्गत जेसे की तकनीकी स्वास्थ्य मानव संसाधन शिक्षा उच्च शिक्षा महिला बाल विकास विधि आदिमजाति अनुसूचितजाति पिछड़ावर्ग कल्याण किसान कल्याण एवं कृषि विकास आदि विभागो के आधीन स्वयं सेवी संस्था के रूप में कार्य करना जिसकी अपेक्षा भारत सरकार राज्यसरकार रखती हो उसके अनुरूप कार्य करना
9	• मूक बधिरनिशक्त जनो के लिए शिक्षा छात्रावास की व्यवस्था करना महिलाओ वृद्धो अनाथो के लिए अनाथालय वृद्धाश्रम आदि की व्यवस्थाओ का सचालन करना
10	• राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उन्नति के मानदंडो तक पहुचने में यथा संभव योगदान देना सर्व धर्म समभाव और धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को जन जन तक पहुँचाना सम्प्रदायवाद, जातीवाद, भाषावाद, प्रांतवाद आदि की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठाना अल्पसंख्यको के बीच किसी भी तथ्य हीन भ्रान्ति शंका कुशंकाओ को न पनप्ने देना आतंकवाद से निपटने हेतु स्थानीय स्तर पर नागरिक की हैसियत से संभव उपाय और तैयारी करना
11	• अनुसूचित जाती जन जाती समाज के पिछड़े वर्गों के परिमाणात्मकऔर गुणात्मक वांछित स्तर की प्राप्ति के शासकीय प्रयासों में सहयोग देना
12	• देनान्दिनी जीवन में आवश्यक वास्तुओ में यथा संभव स्वदेशी उत्पादन का उपयोग करना
13	• पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के विभिन्न प्रयासों के बारे में लोगो को अवगत करना प्लास्टिक आदि के उपयोग और डिस्पोजल में नियंत्रण रखना और वांछित परिणाम प्राप्त करना
14	• भूगर्भीय जल का पता लगाना वर्षा जल का विभिन्न उपायों से संग्रहण स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सभी स्रोतों से प्राप्त जल के संरक्षण वितरण और उपयोग में समुचित ध्यान देकर दुरूपयोग रोकना

15	• ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों से बिजली उत्पादन हेतु सूर्य वायु जल आदि का उपयोग करना गोबर गैस प्लांट लगाने की सम्भावना तलाशना तथा लोगो को इसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना
16	• भूकभ बाढ़ अग्नि अकाल अतिवार्ष्टि महामारी एवं अन्य प्राकृतिक अपदाओ से निपटने हेतु समयोचित साधन और तैयारी रखना समय समय पर आपदा ग्रस्त लोगो को सहायता उपलब्ध करने में सहयोग करना
17	• गरीबी अभाव और अज्ञानता से त्रस्त जनोंके स्वस्थ के लिए रूचिकर भोजन और कुपोषण का निराकरण करना संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय करना मलेरिया, क्षय, एड्स ,आदि रोगों के उन्मूलन चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना
18	• जीर्ण असंक्रामक बीमारियों मानसिक विकारो हिंसा या दुर्घटना जनित शारीरिक चोटों से होने वाली अपंगता असमर्थता और मृत्यु की सम्भावना को न्यूनतम करना चिकित्सा उपरांत आवश्यक सेवा, सुविधा उपलब्ध करना वाहन दुर्घटनाओं की दिनों दिन बढ़ती घटनाओ को रोकने हेतु जन जाग्रति पैदा करना
19	• गर्भावस्था प्रजनन, प्रजननके पश्चात् की अवस्था के दौरान महिलाओ की देख भाल और शिशु स्वास्थ की देख भाल करना ताकि बीमारी और मृत्यु की सम्भावना न्यूनतम हो परिवार कल्याण के बारे में जानकारी देकर जनसँख्या वद्धि पर अंकुश लगाना
20	• शौचालयो की नालियो की सफाई गढ्ढो में पानी न भरने देना, सफाई आदि समग्र स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाना चेरिटी अस्पताल मोबाइल डिस्पेंसरी आदि उपलब्ध कराना ब्लड डोनेशन कैंप नेत्र शिविर, रोग प्रतिबंधक टीको आदि चिकित्सा शिविर का आयोजन करना
21	कृषि जल पर्यावरण संरक्षण ऊर्जा संरक्षण पौध संरक्षण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का सञ्चालन करना कार्यशालाओं का आयोजन नवीन कृषि उपकरणों से अवगत कराना
22	• अपंग मानसिक रोगियों अंध मूक बधिरों के लिए पुनर्वास संस्थान हॉस्टल शेक्षणिक ट्रेनिंग मनोरंजन स्वस्थ आदि के लिए उचित व्यवस्था करना
23	• औषधीय पोधो की खेती एवं जानकारी लोगो का देना तथा उत्पादन कार्यो के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना शासन के अनुदान से अन्य समाज के कल्याण शिक्षा दीक्षा ,विकास एवं उत्थान के लिए कार्य करना साहसिक खेलो को प्रोत्साहन देना
4.	4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्विष्ट की गई है:-

किशोरीलालभाट

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	नवीन कुमार साहू	नरेंद्र साहू	अध्यक्ष	ward 38, पूजाश्री ज्वेलर्स परासिया रोड छिंदवाड़ा, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	व्यवसाय
2	नरेंद्र कुमार साहू	श्री जयशंकर	उपाध्यक्ष	word number 38, पूजाश्री ज्वेलर्स परासिया रोड छिंदवाड़ा, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	व्यवसाय
3	सुमित साहू	श्री किशोरीलाल साहू	सचिव	word 09, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९ कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	व्यवसाय
4	किशोरीलाल साहू	श्री भैयालाल साहू	कोषाध्यक्ष	word 09, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९ कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	व्यवसाय
5	राजकुमार साहू	श्री धनपत साहू	संयुक्त सचिव	वॉर्ड नंबर ९, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९ कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	व्यवसाय
6	रानू साहू	श्री नवीन कुमार साहू	सदस्य	word 38, पूजाश्री ज्वेलर्स परासिया रोड छिंदवाड़ा, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	समाजसेवी
		श्री किशोरीलाल		word 09, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९	

7	शशि साहू	साहू	सदस्य	कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	समाजसेवी

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	नवीन कुमार साहू , नरेंद्र साहू, ward 38, पूजाश्री ज्वेलर्स परासिया रोड छिंदवाड़ा, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	
2	नरेंद्र कुमार साहू , श्री जयशंकर, word number 38, पूजाश्री ज्वेलर्स परासिया रोड छिंदवाड़ा, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	
3	सुमित साहू , श्री किशोरीलाल साहू, word 09, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९ कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	Sumit Sahu
4	किशोरीलाल साहू , श्री भैयालाल साहू, word 09, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९ कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	किशोरीलालसाहू
5	राजकुमार साहू , श्री धनपत साहू, वॉर्ड नंबर ९, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९ कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	
6	रानू साहू , श्री नवीन कुमार साहू, word 38, पूजाश्री ज्वेलर्स परासिया रोड छिंदवाड़ा, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	Ranu Sahu
7	शशि साहू , श्री किशोरीलाल साहू, word 09, कुणाल मोटर्स के पास वॉर्ड नंबर ९ कैलाश नगर नरसिंगप, Chindbadha, Chindwara, Madhya Pradesh	शशीसाहू

Sumit Sahu　　किशोरीलालसाहू

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक
SBIN000615914751209201548271

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Driving License

पहचान पत्र का क्रमांक
mp28n20080045260

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Driving License

पते का क्रमांक mp28n20080045260

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर :-..............................

साक्षी का नाम :- मोहन पंजवानी

साक्षी का पिता/पति:- स्वर्गीय लखनलाल पंजवानी

पूर्ण पता :- वार्ड नंबर ३८ षष्टि माता मंदिर के पीछे मोहन नगर छिंदवाड़ा 480001

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

61AA 906628

CANCELLED

20/11/15

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

1995/15

नियमावली

1.	सोसायटी का नाम श्री दादाजी एजुकेशन सोसाइटी छिंदवाड़ा होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक वॉर्ड नंबर ९ कुणाल मोटर्स के पास कैलाश नगर नरसिंगपुर नाका छिंदवाड़ा 480001 तहसील छिन्दबाड़ा जिला छिन्दबाड़ा मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	सोसाइटी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश
4.	**3.** सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	• शिक्षा का प्रसार प्रचार करना समिति का मुख्य उद्देश होगा जिसमे मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार कॉलेज शिक्षण संस्थानों का संचालन करना शासन द्वारा संचालित जन कल्याण की विभिन्न योजनाओ अभियानों व कार्यकर्मो के निर्धारित लक्ष्यों तक पंहुचने में समुचित सहयोग देना
2	• एकेड्मिक ,शारीरिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ,प्रबंध शिक्षण, चिकित्सा, कृषि ,कंप्यूटर एवं अन्य तकनीकी विषयों की शिक्षण संस्थाओ की स्थापना उनका संचालन, तथा नर्सरी से महाविध्यालीन तक सभी स्तरों की पढाई तथा सभी उम्र के बच्चो को कोचिग उपलब्ध कराना शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था करना पुस्तकालयो प्रयोग शालाओ का निर्माण व संचालन,करना छात्रावास की व्यवस्था व संचालन करना
3	• सामाजिक नैतिकआध्यात्मिक मूल्यों की पुनः स्थापना कर आत्म अनुशासन एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु आधुनिक व्यवसायिक उद्यमी तकनीकी स्वास्थ प्रशिक्षण केंद्र छात्रावास प्रशिक्षण शाला व्यायामशाला की स्थापना व्यवस्था का सन्चालन करना
4	• भारतीय संविधानमें उल्लेखित मूलभूत अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों का ,विभिन्न विधिक प्रावधानों का ,परिवार कल्याण की अवधारणा का, एवं अन्य आवश्यक बातो का प्रारभिक ज्ञान प्रसारित करना, भ्रष्टाचार उन्मूलन कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम ,जनसँख्या वर्द्धि पर अंकुश लगाना ,बाल विवाह ,बाल श्रमिक , दहेज .महिलाओ पर अत्याचारों आदि को रोकना नशा मुक्ति छुआछूत उन्मूलन अन्धविश्वास आदि कुप्रथाओ के उन्मूलन हेतु आवश्यक प्रयास करना
5	• युवा उत्थान हेतु वोकेशनल संस्थाओ जेसे संगीत नाच वाद्य चित्रकला मूर्ती कला सिलाई कढाई बुन्नाई क्राफ्ट वर्क कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक वाइंडिंग

किशोरीलालवानखेड़े

	आदि का प्रशिक्षण देना
6	• साहित्य प्रचार प्रसार पत्रकारिता आडियो विडियो व अन्य माध्यमो से कला संस्कृति जनहित व जनजाग्रति के विभिन्न आयामों का निष्पादन करना युवा जागरण हेतु अभियान चलाना व उन्हें राष्ट्रीय विकास के कार्यो में जोड़ना
7	• उद्यमी व्यवसायिक तकनीकी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा पशु चिकित्सा शिक्षा कृषि शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं अन्य ऐसे शिक्षा के क्षेत्र मैं समाज के उत्थान हेतु कार्य करना पूर्व प्रशिषण कैंद्र बुनियादी प्रशिषण कैंद्र बी एड प्रशिक्षण स्वास्थय विभाग के अंतर्गत एएनएम कैंद्र बी एस सी एम् एस सी नर्सिंग बाल सुधार गृह नारी सुधारगृह कैंद्र मानव अधिकार के अंतर्गत जागरूकता कैंद्र आदि हेतु महाविद्यालय / कैंद्र की स्थापना व्यवस्था एवं सञ्चालन करना
8	• भारत सरकारराज्यसरकार के आधीन आर्थिक सहयोग से ऐसे किसी भी विभाग के अंतर्गत जेसे की तकनीकी स्वास्थ्य मानव संसाधन शिक्षा उच्च शिक्षा महिला बाल विकास विधि आदिमजाति अनुसूचितजाति पिछड़ावर्ग कल्याण किसान कल्याण एवं कृषि विकास आदि विभागो के आधीन स्वयं सेवी संस्था के रूप मैं कार्य करना जिसकी अपेक्षा भारत सरकार राज्यसरकार रखती हो उसके अनुरूप कार्य करना
9	• मूक बधिरनिशक्त जनो के लिए शिक्षा छात्रावास की व्यवस्था करना महिलाओ वृद्धो अनाथो के लिए अनाथालय वृद्धाश्रम आदि की व्यवस्थाओ का संचालन करना
10	• राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उन्नति के मानदंडो तक पहुचने में यथा संभव योगदान देना सर्व धर्म समभाव और धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को जन जन तक पहुँचाना सम्प्रदायवाद, जातीवाद, भाषावाद, प्रांतवाद आदि की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठाना अल्पसंख्यको के बीच किसी भी तथ्य हीन भ्रान्ति शंका कुशंकाओ को न पनपने देना आतंकवाद से निपटने हेतु स्थानीय स्तर पर नागरिक की हैसियत से संभव उपाय और तैयारी करना
11	• अनुसूचित जाती जन जाती समाज के पिछड़े वर्गों के परिमाणात्मकऔर गुणात्मक वांछित स्तर की प्राप्ति के शासकीय प्रयासों मैं सहयोग देना
12	• देनान्दिनी जीवन मैं आवश्यक वास्तुओ में यथा संभव स्वदेशी उत्पादन का उपयोग करना

13	• पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के विभिन्न प्रयासों के बारे में लोगो को अवगत करना प्लास्टिक आदि के उपयोग और डिस्पोजल में नियंत्रण रखना और वांछित परिणाम प्राप्त करना
14	• भूगर्भीय जल का पता लगाना वर्षा जल का विभिन्न उपायों से संग्रहण स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सभी स्रोतों से प्राप्त जल के संरक्षण वितरण और उपयोग में समुचित ध्यान देकर दुरूपयोग रोकना
15	• ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों से बिजली उत्पादन हेतु सूर्य वायु जल आदि का उपयोग करना गोबर गैस प्लांट लगाने की सम्भावना तलाशना तथा लोगो को इसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना
16	• भूकभ बाढ़ अग्नि अकाल अतिवार्ष्टि महामारी एवं अन्य प्राकृतिक अपदाओ से निपटने हेतु समयोचित साधन और तैयारी रखना समय समय पर आपदा ग्रस्त लोगो को सहायता उपलब्ध करने में सहयोग करना
17	• गरीबी अभाव और अज्ञानता से त्रस्त जनोंके स्वस्थ के लिए रूचिकर भोजन और कुपोषण का निराकरण करना संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय करना मलेरिया, क्षय, एड्स ,आदि रोगों के उन्मूलन चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना
18	• जीर्ण असंक्रामक बीमारियों मानसिक विकारो हिंसा या दुर्घटना जनित शारीरिक चोटों से होने वाली अपंगता असमर्थता और मृत्यु की सम्भावना को न्यूनतम करना चिकित्सा उपरांत आवश्यक सेवा, सुविधा उपलब्ध करना वाहन दुर्घटनाओ की दिनों दिन बढती घटनाओ को रोकने हेतु जन जाग्रति पैदा करना
19	• गर्भावस्था प्रजनन, प्रजननके पश्चात् की अवस्था के दौरान महिलाओ की देख भाल और शिशु स्वास्थ की देख भाल करना ताकि बीमारी और मृत्यु की सम्भावना न्यूनतम हो परिवार कल्याण के बारे में जानकारी देकर जनसँख्या वद्धि पर अंकुश लगाना
20	• शोचालयो की नालियो की सफाई गढ्ढो में पानी न भरने देना, सफाई आदि समग्र स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाना चेरिटी अस्पताल मोबाइल डिस्पेंसरी आदि उपलब्ध कराना ब्लड डोनेशन कैंप नेत्र शिविर, रोग प्रतिबंधक टीको आदि चिकित्सा शिविर का आयोजन करना
21	कृषि जल पर्यावरण संरक्षण ऊर्जा संरक्षण पौध संरक्षण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का सञ्चालन करना कार्यशालाओं का आयोजन नवीन कृषि

उपकरणों से अवगत कराना

22 • अपंग मानसिक रोगियों अंध मूक बधिरों के लिए पुनर्वास संस्थान हॉस्टल शेक्षणिक ट्रेनिंग मनोरंजन स्वस्थ आदि के लिए उचित व्यवस्था करना

23 • औषधीय पोधो की खेती एवं जानकारी लोगो को देना तथा उत्पादन कार्यो के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना शासन के अनुदान से अन्य समाज के कल्याण शिक्षा दीक्षा ,विकास एवं उत्थान के लिए कार्य करना साहसिक खेलो को प्रोत्साहन देना

5. सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-

(क) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ख) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

(ग) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

(घ) अवैतनिक सदस्यः सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

1.आयु 18 वर्ष से कम न हो।

2. भारतीय नागरिक हो।

3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो |

8. सदस्यता की समाप्ति- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:-

1. मृत्यु हो जाने पर|

S639120268061209205

2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-
1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।
3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।
(ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।
(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

किशोरीलाल माहू

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाऐगी।

किशोरीलाल

अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16.	उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	सचिव (मंत्री) के अधिकार- (क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18.	संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	बैंक खाता- सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21.	संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
22.	विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही

किशोरीलाल मा[illegible]

	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23.	सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

T.C.

20/11/15

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 61AA 906627

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर

CANCELLED

20/11/15

Assistant Registrar
Firm & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

3285/19 - 1075

जिला कोषालय
जबलपुर
23 SEP 2015
सत्यमेव जयते

विनोद पाठक
स्टाम्प विक्रेता क्र. 222
उप कोषालय
जबलपुर- 02